16-01-18

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ.।

आरोपी राजेश उर्फ दरोगा निरोध में जेल गोहद से मय जेल वारण्ट पेश की ओर से अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव उप0।

प्रकरण उपार्पण तर्क हेतु नियत है। आज दिनांक को प्रकरण में उभयपक्षों के उपार्पण पर तर्क श्रवण किये गये।

> उपार्पण पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा द्वारा अपराध कमांक 190/17 अंतर्गत धारा 363, 366 एवं 376(1) भा.द.सं के अधीन अभियोग पत्र आरोपी राजेश सिंह पुत्र मकरन्द सिंह तोमर उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम खनेता थाना एण्डोरी तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र. के विरूद्ध प्रस्तुत किया है

अभियोगपत्र व संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366 एवं 376(1) भा.द.सं के विचारण के पर्याप्त तथ्य विद्यमान है आरोपी पर आरोपित अपराध अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय के द्व ारा विचारणीय है अतः प्रस्तुत प्रकरण द.प्र.स. की धारा 209 के अंतर्गत माननीय सत्र न्यायालय भिण्ड की ओर सादर उपार्पित किया जाता है।

आरोपी को द.प्र.स. की धारा 207 के अंतर्गत अभियोग पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की निःशुल्क प्रतियां प्रदान की जा चुकी है।

प्रकरण में फोरेन्सिक रिपोर्ट संलग्न है।

प्रकरण में आरोपी अभिरक्षा में है अतः सब जेलर गोहद को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी नियत दिनांक 29.01.18 को प्रातः 11:00 बजे आरोपी को माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष आवश्यक रूप से उपस्थित रखे। उक्त संबंध में जेल वारण्ट पर टीप अंकित की जावे।

उपार्पण की सूचना मालखाना नाजिर एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी भिण्ड को प्रेषित की जावे। प्रपन्न माननीय सत्र न्यायालय भिण्ड को प्रेषित

किये जावे।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी, गोहद